रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 100] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 5, 2010/फाल्गुन 14, 1931

No. 100] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 5, 2010/PHALGUNA 14, 1931

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 मार्च, 2010

सा.का.नि. 174(अ).—कीटनाशी नियम, 1971 का और संशोधन करने के लिए कतिपय प्रारूप नियम केन्द्रीय कीटनाशी बोर्ड के परामर्श से कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 36 की अपेक्षानुसार, अधिसूचना के अधीन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i), तारीख 7 दिसम्बर, 2009, सा.का.नि. 865(अ), द्वारा प्रकाशित किए गए थे, जिनके द्वारा ऐसे सभी व्यक्तियों से जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना थी उस तारीख से जिनको उक्त अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गयी हैं, पैंतालीस दिन की अवधि की समाप्ति के पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और उक्त अधिसूचना की प्रतियां 17 दिसम्बर, 2009 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और उक्त अधिसूचना के संबंध में जनता से कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुआ था;

अत:, अब, केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय कीटनाशी बोर्ड के परामर्श से कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कीटनाशी नियम, 1971 को संशोधित करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इस नियम का संक्षिप्त नाम कीटनाशी (संशोधन) नियम, 2010 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा ।

2. कीटनाशी नियम, 1971 के नियम 6 में,—

(क) उप-नियम (2) में,—

"रजिस्ट्रीकरण फीस के लिए फरीदाबाद पर संदाय लेखा अधिकारी, पौध संरक्षण करंतीन और भांडागार निदेशालय के पक्ष में रेखांकित बैंक ड्राफ्ट सहित" शब्दों को लोप किया जाएगा;

(ख) उप-नियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(3क) रजिस्ट्रीकरण फीस को केन्द्रीय कीटनाशी बोर्ड और रजिस्ट्रीकरण समिति के सचिवालय के वेबसाइट पर लॉगिंग से इंटरनेट संदाय गेटवे सेवाओं का उपयोग करके डेबिट या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से संदत्त किया जा सकेगा ।"

[फा. सं. 19-11/2008-पीपी. I]

पंकज कुमार, संयुक्त सचिव

टिप्पण :—मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सं. सा.का.नि. 1650(अ), तारीख 19 अक्तूबर, 1971 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित किए गए :—

(1) सा.का.नि. 474(अ), तारीख 24 जुलाई, 1976,

(2) सा.का.नि. 736(अ), तारीख 9 दिसम्बर, 1977,

(3) सा.का.नि. 1064(अ), तारीख 7 नवम्बर, 1988,

(4) सा.का.नि. 533(अ), तारीख 6 अगस्त, 1993,

(5) सा.का.नि. 371(अ), तारीख 20 मई, 1999,

(6) सा.का.नि. 372(अ), तारीख 20 मई, 1999,

(7) सा.का.नि. 548(अ), तारीख 12 सितम्बर, 2006,

(8) सा.का.नि. 692(अ), तारीख 7 नवम्बर, 2006, और

(9) सा.का.नि. 128(अ), तारीख 26 फरवरी, 2009 ।

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Co-operation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th March, 2010

G.S.R. 174(E).—Whereas the draft rules further to amend the Insecticides Rules, 1971 which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by Section 36 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968) in consultation with the Central Insecticides Board, were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 865(E), dated 7th December, 2009, inviting objections or suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of forty-five days from the date on which the copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas, the copies of the said Gazette notifications were made available to the public on the 17th December, 2009;

And whereas, no objection or suggestion was received from the public in respect of the said notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 36 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968), the Central Government, after consultation with the Central Insecticides Board, hereby makes the following rules, further to amend the Insecticides Rules, 1971, namely :—

1. (1) These rules may be called the Insecticides (Amendment) Rules, 2010.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Insecticides Rules, 1971, in rule 6,—

(a) in sub-rule (2), the words,

"together with a bank draft, drawn in favour of the Accounts Officer, Directorate of Plant Protection, Quarantine & Storage, payable at Faridabad towards registration fee" shall be omitted;

(b) after sub-rule (3), the following sub-rule shall be inserted, namely :—

"(3A) The registration fees may also be paid through debit or credit card using internet payment gateway services by logging on the website of Secretariat of Central Insecticides Board and Registration Committee."

[F. No. 19-11/2008-PP. I]

PANKAJ KUMAR, Jt. Secy.

Note :—The Principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* No. G.S.R. 1650, dated the 19th October, 1971 and subsequently amended by :—

(1) G.S.R. 474(E), dated 24th July, 1976,

(2) G.S.R. 736(E), dated 9th December, 1977,

(3) G.S.R. 1064(E), dated 7th November, 1988,

(4) G.S.R. 533(E), dated 6th August, 1993,

(5) G.S.R. 371(E), dated 20th May, 1999,

(6) G.S.R. 372(E), dated 20th May, 1999,

(7) G.S.R. 548(E), dated 12th September, 2006,

(8) G.S.R. 692(E), dated 7th November, 2006, and

(9) G.S.R. 128(E), dated 26th February, 2009.

IndiaCode

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.